एम-11013/22/2015-एफडी
भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
(राजकोषीय अंतरण प्रभाग)।

11वां तल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग,
के. जी मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक : 05 नवंबर, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय : चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन पर राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने हेतु गठित समन्वय समिति की दिनांक 24 अक्टूबर, 2018 को आयोजित सातवीं बैठक का कार्यवृत्त

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त उल्लेखित विषय पर दिनांक 24-10-2020 को आयोजित चौदहवें वित्त आयोग समन्वय समिति की बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न करने का निदेश दिया गया है।

(एन. पी टोप्पो)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफ़ैक्स: 011-23753812

संलग्नक: यथोपरि

सेवा में,

1. बैठक में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी।
2. सभी 26 राज्यों के सचिव/प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, ।

निम्नलिखित के लिए सूचनार्थ प्रति:

1. एसपीआर के प्रधान निजी सचिव (पीपीएस)
2. एएस (बीपी) के प्रधान निजी सचिव (पीपीएस)
3. संयुक्त सचिव (एसकेपी) के प्रधान निजी सचिव (पीपीएस)
4. निदेशक (एफडी) के निजी सचिव

चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन पर राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने हेतु गठित समन्वय समिति, पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) की दिनांक 24 अक्टूबर, 2018 को आयोजित सातवीं बैठक का कार्यवृत्त

चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) की अनुसंशाओं के कार्यान्वयन पर राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के दिनांक 08 अक्टूबर, 2015 के दिशानिर्देशों के अनुपालन में पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) द्वारा गठित समन्वय समिति की सातवीं बैठक उन्नति हॉल, कृषि भवन, नई दिल्ली में दिनांक 28 अक्टूबर, 2018 को सचिव, पंचायती राज मंत्रालय (एसपीआर) की अध्यक्षता में हुई। प्रतिभागियों की सूची **अनुलग्नक** में दी गई है।

2. प्रारंभ में एसपीआर ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया। संयुक्त सचिव (एसकेपी) द्वारा ग्राम पंचायतों (जीपी) को चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) अनुदान से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए एक पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी गई। तत्पश्चात्, कार्यसूची मदों पर चर्चा की गई और इस संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

1. **चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) समन्वय समिति की छठी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि**

चूँकि दिनांक 26.2.2018 को आयोजित छठी बैठक के कार्यवृत्त पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है, इसलिए समिति द्वारा दिनांक 26 जून, 2018 को आयोजित छठी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

2. दिनांक 26-06-2018 को आयोजित समिति की छठी बैठक की अनुसंशा पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट:

समिति ने छठी बैठक की अनुसंशा पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट के बारे में विचार-विमर्श किया।

सदस्यों के संज्ञान में निम्नलिखित बिंदु लाए गए ।

- पंचायती राज मंत्रालय को ग्राम पंचायतों द्वारा निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इस दिशा में मंत्रालय ने एलजीडी, जीपीडीपी दिशानिर्देश, प्रियासॉफ्ट-पीएफएमएस एकीकरण और कार्यान्वयन करने तथा एम-एक्शनसॉफ्ट आदि में परिसंपत्तियों की जियो-फोटो टैगिंग सुनिश्चित करना जैसे कई उपाय शुरु किए हैं।

- यूपी राज्य में चौदहवें वित्त आयोग के निष्पादन अनुदान के मूल्यांकन में संशोधन की दिशा में यह सूचित किया गया है कि राज्य ने अपनी निधियों से ग्राम पंचायतों (जीपी) को उनके राजस्व स्रोत (ओएसआर) के यथोचित हिस्से से संबंधित निधियों के हस्तांतरण के आदेश जारी कर दिए हैं। इसकी पुष्टि उत्तर प्रदेश से कराई जा सकती है।

- गुजरात में ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए बीएसएनएल द्वारा उच्च प्रभारों के मुद्दे के संबंध में यह सुझाव दिया गया था कि राज्य अन्य वैकल्पिक सेवा प्रदाताओं की तलाश करे अथवा मेती/डीओटी के साथ इस मुद्दे को उठाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय को पूरा विवरण प्रस्तुत करे।

3. **बुनियादी अनुदान की आगामी किस्त जारी करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय को की गई अनुशंसा की स्थिति की समीक्षा:**

समिति ने बुनियादी अनुदान की आगामी राशि जारी करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय को की गई अनुशंसा की स्थिति पर विचार किया।

4. राज्यों को चौदहवें वित्त आयोग के अनुदानों की किस्तें जारी करने की स्थिति की समीक्षा :

समिति ने **चौदहवें वित्त आयोग के** अनुदान राज्यों को जारी करने की स्थिति के बारे में विचार किया, जैसा कि कार्यसूची में उल्लेख किया गया है।

5. **वर्ष 2017-18 से 2019- 20 के लिए निर्धारित किए गए निष्पादन अनुदान की समीक्षा**:

इस मुद्दे पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। यह माना गया कि **चौदहवें वित्त आयोग** ने ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादन अनुदान (पीजी) प्राप्त करने की पात्रता के लिए केवल निम्नलिखित दो शर्तें विनिर्दिष्ट की थीं।

(i) ग्राम पंचायतों को लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा प्रस्तुत करने होंगे ,जो उस वर्ष यानी जिस वर्ष में ग्राम पंचायत निष्पादन अनुदान का दावा करना चाहती है, से दो वर्ष पहले के न हों।

(ii) ग्राम पंचायत को पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में अपने स्वयं के राजस्व में वृद्धि भी दिखानी होगी, और जो लेखापरीक्षित लेखा में दर्शाया गया हो।

वित्त वर्ष 2017-18 से आगे के लिए मंत्रालय द्वारा शुरु की गई योजना में **चौदहवें वित्त आयोग** निष्पादन अनुदान (पीजी) प्राप्त करने के लिए पात्रता हेतु शर्तों/मूल्यांकन मानदंडों में संशोधन करने के आधार को उजागर किया गया। यह स्पष्ट किया गया कि ओडीएफ की स्थिति और प्रतिरक्षण की स्थिति (immunisation status) के मानदंड दिनांक 5-9-2017 को पीएमओ में आयोजित बैठक के निर्णय के आधार पर योजना में शामिल की गई थीं, और जीपीडीपी की अतिरिक्त अनिवार्य शर्तों को तैयार कर प्लान प्लस पोर्टल में प्रदिर्शित करने तथा क्षेत्र-वार व्यय को **चौदहवें वित्त आयोग** के ऑनलाइन डैशबोर्ड में प्रदर्शित करने की शुरुआत की गई ताकि ग्राम पंचायतों द्वारा निधियों के उचित उपयोग की दिशा में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान यह टिप्पणी की गई कि **चौदहवें वित्त आयोग** ने अपनी अनुसंशा में विशेष रूप से यह निर्धारित किया है कि निधियां जारी करने के लिए उसके द्वारा (**चौदहवां वित्त आयोग**) लगाई गई शर्तों के अलावा, कोई अतिरिक्त शर्त नहीं लगाई जानी है। जैसा कि यह देखा गया कि कुछ राज्यों में वित्त वर्ष 2017-18 के लिए निष्पादन अनुदान के प्रारंभिक आवंटन और वितरण के लिए पात्र जीपी काफी कम हैं, एक सर्वसम्मति यह बनी कि **चौदहवें वित्त आयोग के** अनुसंशाओं की केवल दो शर्तें हैं - लेखापरीक्षित लेखाओं को प्रस्तुत करना और ओएसआर में वृद्धि - को निष्पादन अनुदान के लिए बरकरार रखा जाना चाहिए। इस पर उन राज्यों के लिए विचार किया जाएगा जिनके लिए वर्ष 2017-18 का निष्पादन अनुदान अभी तक जारी नहीं किया गया है, जिसमें वे 6 राज्य भी शामिल हैं जिनके लिए पंचायती राज्य मंत्रालय ने वर्ष 2017-18 के निष्पादन अनुदान जारी करने हेतु वित्त मंत्रालय को पहले ही अनुशंसा भेजी है। इसे वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 के उत्तरोत्तर वर्षों के लिए भी अंगीकृत करना होगा।

यह महसूस किया गया कि निष्पादन अनुदान योजना में प्रस्तावित उपर्युक्त परिवर्तन से राज्यों में काफी अधिक संख्या में ग्राम पंचायतें निष्पादन अनुदान के लिए पात्र हो जाएंगी और केवल कुछ ही ग्राम पंचायतों द्वारा बहुत बड़े परिमाण में प्राप्तियों का मुद्दा नहीं उठेगा। तथापि, राज्यों में किसी भी असाधारण स्थिति के मामले में, जहाँ अभी भी ऐसा घटनाक्रम है, यह सुझाव दिया गया कि पात्र ग्राम पंचायतों के लिए संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए बुनियादी अनुदान आवंटन की 5 गुना की अधिकतम सीमा को बरकरार रखा जाए और पुनर्वितरण के बाद राज्य को वित्तीय वर्ष के निष्पादन अनुदान आवंटन से कोई भी बची हुई राशि जारी नहीं की जाएगी।

यह सुझाव दिया गया कि ग्राम पंचायतों के लिए अधिकतम सीमा की अतिरिक्त शर्त के साथ, उपरोक्त में वर्णित केवल दो शर्तों सहित पूर्व निष्पादन अनुदान योजना को वापस लागू करने के प्रस्ताव के बारे में पीएमओ और वित्त मंत्रालय (एमओएफ) की सहमति प्राप्त की जाए, जैसा कि दिनांक 30-7-2018 को आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया था। वित्त मंत्रालय (एमओएफ) और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की सहमति के बाद जिन राज्यों के संदर्भ में वित्त वर्ष 2017-18 के लिए निष्पादन अनुदान अभी तक जारी नहीं किया गया है, उन्हें वित्त वर्ष 2017-18 के लिए निष्पादन अनुदान के अपने दावों को फिर से तैयार करने और उन्हें दिनांक 30 नवंबर 2018 से पहले पंचायती राज मंत्रालय को प्रस्तुत करने के लिए

कहा जा सकता है ताकि उसे जारी करने की अनुशंसा वित्त मंत्रालय से की जा सके। प्रस्तावित संशोधन केवल उत्तरव्यापी प्रभाव से लागू किए जाएंगे और जिन 9 राज्यों के संदर्भ में वित्त वर्ष 2017-18 के लिए निष्पादन अनुदान पहले ही जारी किया जा चुका है, उनके मामले फिर से नहीं खोले जाएंगे।

(कार्रवाई: पंचायती राज मंत्रालय /वित्त मंत्रालय /राज्य)

6. **अन्य मुद्दे**

एसपीआर ने अनुदेश दिया कि ग्राम पंचायत के खातों में व्यक्तिगत आवंटन अंतरण करने के बजाय, राज्य स्तर पर चौदहवें वित्त आयोग के निधियों के लिए एक केंद्रीय नोडल खाता खोलने पर विचार किया जा सकता है। ग्राम पंचायतों के आवंटन से व्यय करने का प्राधिकार पंचायत पदाधिकारियों के पास ही रहेगा, मगर, विक्रेता भुगतान के लिए यथा अपेक्षित निधि हस्तांतरण आदेश केंद्रीय नोडल खाते से निष्पादित किए जाएंगे। मनरेगा और अन्य योजनाओं के मामले में अपनाई जा रही इसी प्रकार की रीति से निधियों के विपथन को कम करने और अधिकाधिक पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। इसके परिणामस्वरूप ग्राम पंचायतों के वित्तीय लेनदेन पूर्ण रूप से 'डिजिटल' मोड में परिवर्तित हो जाएंगे और उनके विश्लेषण करने तथा प्रभावकारी निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। उन्होंने (एसपीआर) सुझाव दिया कि राज्य चौदहवें वित्त आयोग के अनुदानों के लिए केंद्रीय नोडल खाता की उक्त प्रणाली को अपनाने के विकल्प पर विचार करें और अपनी प्रतिक्रिया दें। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि वित्त मंत्रालय से भी अनुरोध किया जाए कि वे राज्यों को चौदहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित निधियां जारी करने की वर्तमान प्रणाली से इस संशोधित प्रणाली में परिवर्तित होने के लिए तथा निधियों को 15 दिनों के भीतर ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करें। यह भी स्पष्ट किया गया कि केंद्रीय नोडल खाते में जो भी ब्याज अर्जित किया जाएगा, उसे भी ग्राम पंचायतों को एक न्यायसंगत प्रणाली के माध्यम से वितरित किया जाएगा।

(कार्रवाई: पंचायती राज मंत्रालय /वित्त मंत्रालय /राज्य)

चौदहवें वित्त आयोग के अनुदानों के व्यय पैटर्न को लेकर प्रियासॉफ्ट में विसंगतियों से मुद्दे को उजागर किया गया और यह राय व्यक्त की गई कि इसका कारण चौदहवें वित्त आयोग के अनुदानों से अन्य व्ययों का गलत तरीके से किया गया अभिलेखन या लेखांकन संहिताओं का उचित रूप से उपयोग नहीं करना हो सकता है। यह सुझाव दिया कि विसंगतियों के संभावित कारणों की पहचान करने और उचित सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए एक अध्ययन किया जाए।

(कार्रवाई: पंचायती राज मंत्रालय /राज्य)

यह भी सूचित किया गया कि 16 राज्यों (उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, असम, छत्तीसगढ़, केरल, झारखंड और तमिलनाडु) की 160 ग्राम पंचायतों में एक विस्तृत सर्वेक्षण के माध्यम से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा चौदहवें वित्त आयोग के अनुदानों के प्रभाव के मूल्यांकन हेतु एक प्रकिया नियोजित की जा रही है।

(कार्रवाई: पंचायती राज मंत्रालय

इस बात की भी जानकारी दी गई कि पंचायत पुरस्कारों के लिए नामांकन पहले ही शुरु हो चुके हैं और इसके लिए आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर किए जा सकते हैं। राज्यों से अनुरोध किया गया कि वे बड़ी संख्या में पुरस्कारों के लिए आवेदन करने हेतु ग्राम पंचायतों को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करें।

(कार्रवाई : राज्य)

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हुए, बैठक संपन्न हुई।

*****

<u>अनुलग्नक</u>

उन्नति हॉल, कृषि भवन, नई दिल्ली में दिनांक 24 अक्टूबर, 2018 को आयोजित समन्वय समिति की 7वीं बैठक।

प्रतिभागियों की सूची

क्र. सं.	नाम & पदनाम	कार्यालय/मंत्रालय
1	श्री अमरजीत सिन्हा , सचिव	पंचायती राज मंत्रालय
2.	श्री जयदीप गोविंद , विशेष सचिव एवं एफए	पंचायती राज मंत्रालय
3.	श्रीमती शालिनी प्रसाद, विशेष सचिव	पंचायती राज मंत्रालय
4 .	डॉ. बाला प्रसाद, अपर सचिव	पंचायती राज मंत्रालय
5 .	डॉ. संजीब कुमार पाटजोशी , संयुक्त सचिव	पंचायती राज मंत्रालय
6.	श्रीमती अल्का उपाध्याय , संयुक्त सचिव	ग्रामीण विकास मंत्रालय
7.	श्री कमलेश कुमार त्रिपाठी , निदेशक	पंचायती राज मंत्रालय
8 .	श्री एन पी. टोप्पो, अवर सचिव	पंचायती राज मंत्रालय
9 .	श्री शशि भूषण, लेखा नियंत्रक	पंचायती राज मंत्रालय
10.	डॉ. भारतेंदु कुमार सिंह, निदेशक	व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय
11.	श्री आर बी कौल	व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय
12.	श्री शशि भूषण, लेखा नियंत्रक	ग्रामीण विकास मंत्रालय
13 .	श्री जी. आर. जरगई, उप सलाहकार	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
14.	श्री वी. पी. सिंह , निदेशक	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
15 .	श्री राकेश संधू , उपनिदेशक	पंचायती राज विभाग, हरियाणा
16 .	श्री शमीम उद्दीन , निदेशक	पंचायती राज विभाग, मध्य प्रदेश
17 .	डॉ. एन. के. मीना, प्रधान सचिव	अपर विकास आयुक्त, गुजरात
18 .	डॉ. डब्लू. आर. रेड्डी, महानिदेशक	एनआईआरडी एवं पीआर, हैदराबाद
19 .	श्री जी. एस. कृष्णन, परामर्शदाता	पंचायती राज मंत्रालय

*****